बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

कार्यालय हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर

निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरॉव, बक्सर के पशुओं को खिलाने हेतु सुखा चारा (1) गेहूँ भूसाा (2) नेवार कुट्टी वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए क्रय करने हेतु मोहर बन्द निविदा प्रकाशन के इक्कीस दिनों के भीतर 05:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को अगले दिन 11:00 बजे पूर्वाह्न में स्थानीय क्रय समिति द्वारा प्रबंधक कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।

1. अग्रधन के रूप मं 1000/- (एक हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन पक्षेत्र, डुमरॉव के पदनाम में भुगतेय होगा।
2. निविदा के साथ पारदर्शी थैले में 200 ग्राम मुहर बन्द नमूना देना होगा, जिससे निविदादात का नाम पता एवं तिथि अंकित होनी चाहिए।
3. माल की आपूर्त्ति पक्षेत्र के गोदाम तक पहुँचाकर करना होगा तथा माल की तौलाई एवं उठाई आपूर्त्तिकर्त्ता को वहन करना होगा।
4. निविदा में सभी कर एवं खर्च सन्निहित होना चाहिए।
5. माल नमूने के अनुसार नहीं होने पर माल आपूर्त्ति नहीं ली जायेगी। माल स्वीकृत दर से कम दर पर लेने का अधिकार क्रय समिति को सूरक्षित रहेगा।
6. निविदा स्वीकृत होने पर चयनित निविदादाता को सूचना दी जायेगी। सूचना के आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिनांक के अनदर माल की आपूर्त्ति कर देनी होगी।
7. निविदादाता को सूचित किया जात है कि निर्धारित समय के बाद निविदा नहीं ली जायेगी।
8. नये वित्तीय नियमावली के अनुसार विपत्र की राशि में से जो भी कर होगा उसे काटकर ही भुगतान किया जायेगा।
9. निविदा तकनीकी एवं वित्तीय दो भाग में अलग-अलग लिफाफे में ली जाएगी। तकनीकी भाग में निविदा की योग्यता से संबंधित अभिलेंख होंगे एवं वित्तीय भाग में दर का विवरण केवल उसी निविदाओं के वित्तीय भाग को खोला जायेगा जो तकनीकी रूप से योग्य पायी जायेगी।
10. संवेदक का निबंधन आपूर्त्ति हेतु निबंधन विभाग निदेशालय, बिहार पटना / जिला स्तर द्वारा होना आवश्यक है।
11. निविदा के साथ आयकर निटर्न पिछले वर्ष को देना आवश्यक होगा।

12. निविदादाता को जी0एस0टी0 के तहत निबंधन एवं आद्यतन देयता संबंधित स्वच्छता प्रमाण–पत्र देना होगा।
13. निविदाता को किसी भी फौजदारी मुकदमा में संलिप्त अथवा सजायाफता एवं काली सूची में दर्ज नहीं रहने से संबंधित एक एफिडेविट नॉटरी द्वारा देना होगा।
14. निविदादात को निविदा के साथ आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
15. पिछले पॉँच वर्षो में किसी भी दो वर्ष का चारा आपूर्त्ति का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।
16. आपूर्त्ति के बाद भुगतान हेतु दो प्रति में विपत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निविदा को रद्द करने का पूरा अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति नहीं होने पर अग्रधन की राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

उक्त जानकारी एवं शर्त्तो के लिए वेबसाईट ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

26.2.21

(डॉ मो0 फातेहुज्जमाँ)
प्रबंधक,
हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,
कंचन डुमरॉव, बक्सर।
26.2.21